

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**बिहार पुलिस मुख्यालय**  
**दिनांक 13.03.2023 (सं0-170)**



**समस्तीपुर-सहरसा मेमू सवारी गाडी में मोबाइल लूटने के क्रम में गोली मारने की घटना का उद्भेदन, 06 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी।**

- दिनांक 17.02.2023 कटिहार रेल जिला अन्तर्गत समस्तीपुर सहरसा मेमू सवारी गाडी में यात्रा के क्रम में यात्री से मोबाइल छीनने के क्रम में यात्री के द्वारा विरोध करने पर अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। अपराधकर्मी बखरी अनुमंडल के सलोना स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थें।
- इस सम्बन्ध में खगड़िया रेल थाना काण्ड सं0-23/23, दि0-17.02.23, धारा-394 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था।
- काण्ड के सफल उद्भेदन हेतु गठित एस0आई0टी0 द्वारा कार्रवाई करते हुए काण्ड में संलिप्त 06 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से घटना के प्रयुक्त देशी कट्टा एवं गोली बरामद किया गया है। साथ ही इस काण्ड में लूटे गये मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है।
- गिरफ्तार अभियुक्तों में अधिकांश की उम्र 22 से 30 वर्ष के बीच है तथा इनमें 02 अपराधकर्मियों 1. अभय कुमार तथा 2. गुड्डु कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। शेष अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी**

1. मनोज कुमार, थाना-बखरी, जिला-बेगूसराय।
2. सुमित कुमार, थाना- बखरी, जिला-बेगूसराय।
3. राजा कुमार, थाना-बखरी, जिला-बेगूसराय।
4. गुड्डु कुमार, थाना-बखरी, जिला-बेगूसराय।
5. अभय कुमार, थाना-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर।
6. रौशन पाठक, थाना-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर, वर्तमान-थाना-बखरी, जिला-बेगूसराय।

**बरामदगी**

- (1) देशी कट्टा
- (2) गोली
- (3) मोबाइल

**XXXXXXXXXX**